



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04082020-220815

CG-DL-W-04082020-220815

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1—अगस्त 7, 2020 (श्रावण 10, 1942)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1—AUGUST 7, 2020 (SRAVANA 10, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जनवरी 2018

सं. आरएस/20/1/2018/02-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री बाबू राम, अपर निदेशक (भाषांतरण) 31 दिसम्बर, 2017 के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

सं. आरएस/20/1/2018/03-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री मुंशी सिंह, उप निदेशक (पीएंडपी) 31 दिसम्बर, 2017 के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 18 जनवरी 2018

सं.आरएस 42/2/2018/6-कार्मिक—श्री संदीप पांडे, अधिशासी अधिकारी को 18 जनवरी, 2018 के अपराहन से इस सचिवालय में उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है और उनकी सेवाएं माननीय वस्त्र राज्यमंत्री (श्री अजय टम्टा) के वैयक्तिक स्टाफ में

प्रतिनियुक्ति और सह-पदावसान आधार पर और अगले आदेश तक के लिए अपर निजी सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हेतु वस्त्र मंत्रालय के सुपुर्द कर दी गई हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 31 जनवरी 2018

सं. आरएस 6/5/2018/7-कार्मिक—श्री बिमला प्रसाद सिन्हा को 29 दिसम्बर, 2017 के पूर्वाह्न से सह-पदावसान आधार पर और आगामी आदेशों तक के लिए मुख्य सचेतक-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल, राज्य सभा (श्री भुवनेश्वर कालिता) के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में (15600-39100 + 5400 रुपये के ग्रेड पे के पूर्व संशोधित वेतनमान के समकक्ष) नियुक्त किया गया है।

श्री बिमला प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के वर्तमान मुख्य सचेतक (श्री भुवनेश्वर कालिता) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 2 फरवरी 2018

सं.आरएस/20/1/2018/08-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री चौधरी रमाकांत दास, संयुक्त सचिव (भाषांतरण) 31 जनवरी, 2018 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

सं. आरएस/20/1/2018/09-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री माधो प्रसाद, उप सचिव 31 जनवरी, 2018 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 6 फरवरी, 2018

सं.आरएस/3/2/1/2018/10—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने डॉ. (श्रीमती) रोजी साइलो दामोदरन, अपर निदेशक (लार्डिस) को दिनांक 21 दिसंबर, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 (पूर्व संशोधित वेतनमान 37400-67000 रुपये के वेतन बैंड-4 + 8700 रुपये के ग्रेड वेतन) में और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 'गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन' को स्वीकृति प्रदान की है।

2. उपर्युक्त उन्नयन 13 अप्रैल, 2017 के भर्ती और सेवा शर्तों संबंधी आदेश सं.1/2017 के पैरा 8 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होगा।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 12 फरवरी 2018

सं.आरएस/3/2/1/2018/14-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री रतन कुमार साहू, अपर निदेशक (लार्डिस) को दिनांक 16 जनवरी, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 (पूर्व संशोधित वेतनमान 37400-67000 रुपये के वेतन बैंड-4 + 8700 रुपये के ग्रेड वेतन) में और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 'गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन' को स्वीकृति प्रदान की है।

2. उपर्युक्त उन्नयन 13 अप्रैल, 2017 के भर्ती और सेवा शर्तों संबंधी आदेश सं.1/2017 के पैरा 8 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होगा।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 19 फरवरी 2018

सं.आरएस.6/4/2018/12-कार्मिक—आचार समिति के पूर्व अध्यक्ष (डॉ. कर्ण सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में सहपदावसान आधार पर नियुक्त श्री गंगाधर शर्मा की सेवाएं, उन्हें 28 जनवरी, 2018 के पूर्वाह्न से 15 दिनों की परिसमापन अवधि स्वीकृत करने के बाद, 11 फरवरी, 2018 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 9 मार्च 2018

सं.आरएस/20/1/2018/16-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री मोहम्मद खालिद खान, संयुक्त सचिव 28 फरवरी, 2018 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

सं.आरएस/20/1/2018/17-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती सुमन आहुजा, अपर निदेशक (पीएसएसएस) 28 फरवरी, 2018 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गई हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

सं.आरएस/20/1/2018/18-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री परवेज हुसैन, उप निदेशक (पीएंडपी) 28 फरवरी, 2018 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 21 मार्च 2018

सं.आरएस.3/5/2018/20-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निदेशक (भाषांतरण) के पद पर कार्यरत श्रीमती निशि चड्ढा को 20 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 में (पूर्व-संशोधित वेतनमान 37400-67000 रु. के वेतन बैंड-4 + 10,000 के ग्रेड वेतन के समतुल्य) तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर युगपत् भाषांतरण सेवा में संयुक्त सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया है।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 26 मार्च 2018

सं. आरएस. 3/1/3/2018/21-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत श्रीमती नीना बजाज को 31 जनवरी, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (पूर्व संशोधित वेतनमान 15,600-39,100 रुपए + 5400 रुपए के समतुल्य) में और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में स्व-स्थाने आधार पर नियुक्त किया है।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 31 मार्च 2018

सं.आर.एस.3/1/6/2018/24-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री पी.पी.के. रामाचार्युलु, को 1 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से संविदा आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17 में 2,25,000/- रुपए (नियत) (पूर्व संशोधित वेतनमान 80,000/-नियत के समकक्ष) में सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 3 अप्रैल 2018

सं. आरएस/20/1/2018/23-कार्मिक—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री पी.पी.के. रामाचार्युलु, सचिव 31 मार्च, 2018 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 4 अप्रैल 2018

सं.आरएस.3/1/1/2018/25-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अपर निदेशक के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 21 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में (पूर्व-संशोधित वेतनमान 37,400-67,000 रु. के वेतन बैंड-4 + 8700 रुपये के ग्रेड वेतन के समतुल्य) तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक के ग्रेड में "गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन" की स्वीकृति प्रदान की है:-

(i) श्री दिनेश कुमार जुनेजा

(ii) श्री शशि भूषण

2. उपर्युक्त उन्नयन दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के भर्ती और सेवा की शर्तें आदेश सं 1/2017 के पैरा 8 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होगा।

राकेश प्रसाद, निदेशक

सं. आर.एस.3/1/1/2018/26-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अपर निदेशक श्री दिनेश कुमार जुनेजा को 03 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में (पूर्व-संशोधित वेतनमान 37,400-67,000 रु. के वेतन बैंड-4 + 8700 रुपये के ग्रेड वेतन के समतुल्य) तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

राकेश प्रसाद, निदेशक

सं. आर.एस. 3/1/2/2018/27-कार्मिक—राज्य सभा सचिवालय की दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. आर.एस.3/1/1/2014/109-कार्मिक द्वारा पहले स्वस्थाने आधार पर इस सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त श्रीमती कल्पना गिरधर को 03 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति में समायोजित किया गया है।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 9 अप्रैल 2018

सं. आर एस. 4/3/2018/28-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने सुश्री दीपिका शर्मा आशुलिपिक ग्रेड 'डी', रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य सभा सचिवालय में 06 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10

में (पी.बी. -3 में 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान के समकक्ष)नियमों के अंतर्गत यथाग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ अस्थायी तौर पर संसदीय वृत्त-लेखक (अंग्रेजी) नियुक्त किया है।

2. सुश्री दीपिका शर्मा की नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि जब तक वह 160 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम आशुलिपि गति प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वह वार्षिक वेतन वृद्धि /स्थायीकरण/पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगी। यदि वह संसदीय वृत्त-लेखक के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 160 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम आशुलिपि गति प्राप्त करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें सेवा से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, यदि किसी भी पद पर उनके पास धारणाधिकार नहीं है तथा धारणाधिकार होने पर उन्हें उनके द्वारा धारित मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 12 अप्रैल 2018

सं. आर एस. 4/3/2018/29-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री रवि कांत आशुलिपिक ग्रेड -II, संयुक्त सचिव, आयकर का कार्यालय, रेंज-II, सवीना, उदयपुर को राज्य सभा सचिवालय में 12 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में (पी.बी. -3 में 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान के समकक्ष) नियमों के अंतर्गत यथाग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ अस्थायी तौर पर संसदीय वृत्त-लेखक (हिन्दी) नियुक्त किया है।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 24 अप्रैल 2018

सं. आर एस. 4/3/2018/31-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने सुश्री डी. नेहा आशुलिपिक ग्रेड -'डी', महानिदेशालय: आल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती को राज्य सभा सचिवालय में 20 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में (पी.बी.-3 में 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान के समकक्ष) नियमों के अंतर्गत यथाग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ अस्थायी तौर पर संसदीय वृत्त-लेखक (हिन्दी) नियुक्त किया है।

राकेश प्रसाद, निदेशक

दिनांक 25 अप्रैल 2018

सं. आरएस./3/1/2018/32-कार्मिक:—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अवर सचिव के रूप में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 19 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में (15,600-39,100 रुपए के वेतन बैंड-3 + 7600/- रुपए के ग्रेड वेतन के पूर्व-संशोधित वेतनमान के समकक्ष) नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों सहित उप सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है:

1. श्री अनिल कुमार सैनी
2. डा. (श्रीमती) सुनीता सिंह

राकेश प्रसाद, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 2018

सं.आरएस.3/7/(1)/2018/15-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संपादक के ग्रेड में कार्यरत श्री दिनेश कुमार खोबा को 28.12.2017 से अगले आदेश तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में (15,600-39,100 रुपए + 6600/- रुपए के ग्रेड वेतन के पूर्व संशोधित वेतनमान के समकक्ष) और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ स्व-स्थाने आधार पर उप निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

अमित कुमार, उप सचिव

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2020

सं. 7/4/2018-डीआरटी—ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरणों में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है:—

क्रम सं.	पीठासीन अधिकारी का नाम सर्वश्री/	डीआरटी का नाम	पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण करने की तारीख
1	डॉ. रेखा जी. धाकड़	डीआरटी-1, मुम्बई	17.6.2020
2	दीपक मंगलदास ठक्कर	डीआरटी-2, मुम्बई	15.6.2020
3	विमल गुप्ता	डीआरटी, औरंगाबाद	19.6.2020 (अपराहन)
4	राधाकृष्णा गणपति कुरेल्ला	डीआरटी-3, चेन्नई	11.6.2020
5	एम. पी. बालासुब्रमण्यन	डीआरटी, कोयम्बतूर	24.6.2020
6	लक्ष्मण मदनानी	डीआरटी-2, अहमदाबाद	24.6.2020
7	लाभ सिंह	डीआरटी-1, एर्णाकुलम	15.6.2020 (अपराहन)

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

सं. 7/1/2020-डीआरटी—अधिकरण, अपील अधिकरण एवं अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हता, अनुभव तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 के नियम 4 एवं 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री टी. रवि शंकर को दिनांक 11.3.2020 से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

दिनांक 7 जुलाई 2020

सं. 7/4/2018-डीआरटी—ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरणों में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है:—

क्रम सं.	पीठासीन अधिकारी का नाम सर्वश्री/	डीआरटी का नाम	पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण करने की तारीख
1	सुश्री एस. वी. गौरम्मा	डीआरटी-2, बेंगलूरु	3.7.2020
2	राजेश टी.	डीआरटी-2, चेन्नई	4.7.2020

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2020

सं. 7/4/2018-डीआरटी—ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री संजीव कुमार को दिनांक 29.06.2020 से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, रांची के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

सं. 7/1/2019-डीआरटी—ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री लाभ सिंह, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-1, एर्णाकुलम को अपने स्वयं के कार्यभार के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-2 एर्णाकुलम के सौंपे गए अतिरिक्त प्रभार की अवधि को तत्काल प्रभाव से 06 महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2020

सं. ए.38011/06/2019-स्थापना—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप श्री सत्य मोहन गुप्ता, उप सचिव दिनांक 31.03.2020 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

तिलक राज, अवर सचिव

दिनांक 21 मई 2020

सं. 36/2020 (सं. ए.19011/02/2020-स्थापना)—व्यय विभाग के दिनांक 06.05.2020 के आदेश सं.ए-22012/7/2020-ग्रुप-ए/सीजीए-2968-2983 के तहत उर्वरक विभाग में निदेशक (लेखा) के पद के लिए एसटीएस लेवल में उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप, डॉ० मधु शर्मा, आईसीएस (2011) को एतद्वारा उर्वरक विभाग में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 11.05.2020 (अपराह्न) से निदेशक (लेखा) के पद के लिए एसटीएस लेवल में उर्वरक विभाग की संख्या में शामिल किया जाता है। वह उर्वरक विभाग में स्थानापन्न निदेशक (एफएस) के रूप में कार्य करेंगी।

तिलक राज, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2020

सं. ए. 19011/15/2015-स्थापना—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.07.2020 के का. झा. सं 17/2/2020—सीएस—(डी) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप तथा उनके नोटिस की तीन माह की अवधि पूरी हो जाने पर श्री विक्रान्त सचदेव, उप सचिव (सीएसएस, सीएसएल नं. 5464), उर्वरक विभाग को सीएसएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अनुसार सरकारी सेवा से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 31.07.2020 (अपराह्न) से इस विभाग से कार्यमुक्त किया जाता है।

तिलक राज, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2020

सं. ए.12025/30/2019-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय ने डॉ. पल्लवी को दिनांक 23.08.2019 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

सं. ए.12025/12/2019-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय ने डॉ. रोमित सक्सेना को दिनांक 13.05.2019 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 26 जून 2020

सं. 6(2871)/2020-प्रशा./4459—राष्ट्रपति, श्री रवि झा, आईएस (एजीएमयूटी:2011), को परमाणु ऊर्जा विभाग में उप सचिव (लेवल 12) स्तर पर पूर्वोत्तर विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पीएमओ, पीपीजीएंडपी, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में, मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर, ओएसडी के रूप में कार्य न करने तक अथवा भावी आदेशों तक, जो भी पहले हों, प्रारंभिक रूप से दिनांक 01.07.2020 से 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

राकेश गर्ग, निदेशक

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 जुलाई 2020

सं. प्रशा.-12/18/2015-प्रशा.—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 12015/02/2020-आईएसएस, दिनांक 26.06.2020 के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के अधिकारी श्री राहुल कुमार पटेल को दिनांक 01.07.2020 के पूर्वाह्न से पे मैट्रिक्स के पे लेवल 11 (67,700—2,08,700/— रु.) में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में उप निदेशक (सीनियर टाइम स्केल (एसटीएस) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुदेश कुमार, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2020

सं. ईआरबी-1/2020/25/7—श्री हर्ष कान्त वशिष्ठ, अवर सचिव, रेलवे बोर्ड का दिनांक 26.05.2020 को देहान्त हो गया है।

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2020

सं. ए-32013/04/2019-E.II—राष्ट्रपति, श्री संतोष कुमार आर्य, कार्यकारी अभियंता (सिविल) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में लेवल-13 (1,23,100—2,15,900/— रु.) में दिनांक 27.05.2020 से नियमित आधार पर केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

कमल किशोर, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 4th January 2018

No. RS/20/1/2018/02-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Babu Ram, Additional Director (Interpretation), retired from service with effect from the afternoon of 31st December, 2017.

RAKESH PRASAD, Director

No. RS/20/1/2018/03-Perl. – On attaining the age of superannuation, Shri Munshi Singh, Deputy Director (P&P), retired from service with effect from the afternoon of 31st December, 2017.

RAKESH PRASAD, Director

The 18th January 2018

No. RS/42/2/2018/6-Perl.—Shri Sandeep Pandey, Executive Officer, stands relieved of his duties in this Secretariat w.e.f. the afternoon of 18th January, 2018, and his services have been placed at the disposal of Ministry of Textiles for his appointment as Additional Private Secretary in the personal Staff of Hon'ble Minister of State for Textiles (Shri Ajay Tamta) on deputation and co-terminus basis and until further orders.

RAKESH PRASAD, Director

The 31st January 2018

No. RS/6/5/2018/7-Perl.—Shri Bimla Prasad Sinha has been appointed as Private Secretary in Level 10 of the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised/scale of Pay Band 3 of Rs. 15600-39100+Grade Pay of Rs. 5400) in the personal staff of Chief Whip-Indian National Congress Party, Rajya Sabha (Shri Bhubaneshwar Kalita) w.e.f. the forenoon of 29th December, 2017 on co-terminus basis and basis until further orders.

2. The appointment of Shri Bimla Prasad Sinha is at the discretion of the present Chief Whip-Indian National Congress Party (Shri Bhubaneshwar Kalita) and will be co-terminus with the term of his office.

RAKESH PRASAD, Director

The 2nd February 2018

No. RS/20/1/2018/08-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Choudhury Ramakanta Das, Joint Secretary (Interpretation), retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2018.

RAKESH PRASAD, Director

No. RS/20/1/2018/09-Perl.— On attaining the age of superannuation, Shri Madho Prasad, Deputy Secretary, retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2018.

RAKESH PRASAD, Director

The 6th February 2018

No. RS/3/2/1/2018/10-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to grant 'Non-functional Financial Upgradation' to Dr. (Smt.) Rosey Sailo Damodaran, Additional Director (LARRDIS) to the grade of Director (LARRDIS) in Level 13 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised scale of PB-4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8700/-) plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 21st December, 2017 and until further orders.

2. The above upgradation shall be governed by the provisions contained in Para 8 of the R&CS Order No.1/2017 dated 13th April, 2017.

RAKESH PRASAD, Director

The 12th February 2018

No. RS/3/2/1/2018/14-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to grant 'Non-functional Financial Upgradation' to Shri Ratan Kumar Sahoo, Additional Director (LARRDIS) to the grade of Director (LARRDIS) in Level 13 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised scale of PB-4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8700/-) plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 16th January, 2018 and until further orders.

2. The above upgradation shall be governed by the provisions contained in Para 8 of the R&CS Order No.1/2017 dated 13th April, 2017.

RAKESH PRASAD, Director

The 19th February 2018

No. RS. 6/4/2018/12-Perl.—The services of Shri Gangadhar Sharma as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of former Chairman, Committee on Ethics (Dr. Karan Singh), stand terminated w.e.f. the afternoon of 11th February, 2018 after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. forenoon of 28th January, 2018.

RAKESH PRASAD, Director

The 9th March 2018

No. RS/20/1/2018/16-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Mohd. Khalid Khan, Joint Secretary, retired from service with effect from the afternoon of 28th February, 2018.

RAKESH PRASAD, Director

No. RS/20/1/2018/17-Perl.—On attaining the age of superannuation, Smt. Suman Ahuja, Additional Director (PSSS), retired from service with effect from the afternoon of 28th February, 2018.

RAKESH PRASAD, Director

No. RS/20/1/2018/18-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Parwez Husain, Deputy Director (P&P), retired from service with effect from the afternoon of 28th February, 2018.

RAKESH PRASAD, Director

The 21st March 2018

No. RS/3/5/2018/20-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Nishi Chadha, Director (Interpretation) in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Joint Secretary in the Simultaneous Interpretation Service in Level 14 in the Pay Matrix (corresponding to pre-revised scale of Pay Band - 4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs.10000/-) plus usual allowances as admissible under rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 20th March, 2018 and until further orders.

RAKESH PRASAD, Director

The 26th March 2018

No. RS/3/1/3/2018/21-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Neena Bajaj, Assistant Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer Level 10 in the pay matrix (corresponding to the pre-revised scale of Rs. 15600-39100 + Rs. 5400/-) plus usual allowances as admissible under the rules on in-situ basis, in that Secretariat with effect from the forenoon of 31st January, 2018 and until further orders.

RAKESH PRASAD, Director

The 31st March 2018

No. R.S.3/1/6/2018/24-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Dr. P.P.K. Ramacharyulu as Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in Level-17 in the Pay Matrix of Rs. 2,25,000/- (fixed) (corresponding to pre-revised scale of Rs. 80,000/- fixed) on contract basis for a period of one year with effect from the forenoon of 1st April, 2018.

RAKESH PRASAD, Director

The 3rd April 2018

No. RS/20/1/2018/23-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri P.P.K. Ramacharyulu, Secretary, retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2018.

RAKESH PRASAD, Director

The 4th April 2018

No. RS/3/1/1/2018/25-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to grant 'Non-functional Financial Upgradation' to the following persons in the grade of Additional Director to the grade of Director in Level 13 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised scale of PB-4 of Rs. 37400—67000 + Grade Pay of Rs. 8700/-) plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 21st March, 2018 and until further orders:

- (i) Shri Dinesh Kumar Juneja
- (ii) Shri Shashi Bhushan

2. The above upgradation shall be governed by the provisions contained in Para 8 of the R&CS Order No.1/2017 dated 13th April, 2017.

RAKESH PRASAD, Director

No. RS/3/1/1/2018/26-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Dinesh Kumar Juneja, Additional Director in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Director in Level 13 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised scale of PB-4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8700/-) plus usual allowances as admissible under rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 3rd April, 2018 and until further orders.

RAKESH PRASAD, Director

No. RS/3/1/2/2018/27-Perl.—Smt. Kalpna Girdhar, who was earlier appointed to the grade of Legislative/ Committee/ Protocol/ Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat on in-situ basis vide Notification No. RS/3/1/1/2014/109-Perl. dated 27th October, 2014 stands adjusted against a regular vacancy in the said grade w.e.f. the forenoon 3rd April, 2018 and until further orders.

RAKESH PRASAD, Director

The 9th April 2018

No. RS/4/3/2018/28-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Ms. Deepika Sharma, Stenographer Grade 'D' in Railway Board, Ministry of Railways, Government of India as temporary Parliamentary Reporter (English) in the Rajya Sabha Secretariat in Level 10 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised scale of PB-3 of Rs.15600-39100 + Grade Pay of Rs. 5400/-) plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 6th April, 2018 and until further orders.

2. The appointment of Ms. Deepika Sharma is subject to the condition that she would not be eligible for annual increment/confirmation/promotion until she attains a minimum shorthand speed of 160 w.p.m.. If she fails to attain a minimum shorthand speed of 160 w.p.m. within a period of 5 years from the date of her appointment as Parliamentary Reporter, her services shall be terminated in case she does not hold lien on any post and in other case, she would be reverted to the substantive post held by her.

RAKESH PRASAD, Director

The 12th April 2018

No. RS/4/3/2018/29-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ravi Kant, Stenographer Grade - II in the Office of Joint Commissioner of Income Tax, Range-2, Savina, Udaipur as temporary Parliamentary Reporter (Hindi) in the Rajya Sabha Secretariat in Level 10 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised scale of PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 5400/-) plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 12th April, 2018 and until further orders.

RAKESH PRASAD, Director

The 24th April 2018

No. RS/4/3/2018/31-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha is pleased to appoint Ms. D. Neha, Stenographer Grade 'D' in Directorate General : All India Radio, Prasar Bharati as temporary Parliamentary Reporter (Hindi) in the Rajya Sabha Secretariat in Level 10 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised scale of PB-3 of Rs. 15600-39100+Grade Pay of Rs. 5400/-) plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 20th April, 2018 and until further orders.

RAKESH PRASAD, Director

The 25th April 2018

No. RS/3/1/1/2018/32-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Deputy Secretary in level 12 in the Pay Matrix (corresponding to pre-revised scale of PB-3 of Rs. 15600-39100+ Grade Pay of Rs. 7600/-) plus usual allowances as admissible under rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 19th April, 2018 and until further orders:

- (i) Shri Anil Kumar Saini
- (ii) Dr. (Smt.) Sunita Singh

RAKESH PRASAD, Director

New Delhi-110001, the 1st March 2018

No. RS/3/7/1/2018/15-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Dinesh Kumar Khoba, Editor in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Deputy Director (E&T) on in situ basis in Level-11 in the Pay Matrix (corresponding to pre-revised scale of PB-3 of Rs. 15600-39100+ Grade Pay of Rs. 6600/-) plus usual allowances as admissible under rules with effect from 28.12.2017 and until further orders.

AMIT KUMAR, Deputy Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 2nd July 2020

No. 7/4/2018-DRT—In exercise of the powers conferred vide Section 4(1) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, the Central Government hereby appoints the following as Presiding Officer in the Debts Recovery Tribunal for a period of four years with effect from the date mentioned against their names, or till they attain the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest:—

S. No.	Name of Presiding Officer S/Sh.	Name of Debts Recovery Tribunal	Date of Joining as PO
1.	Dr. Rekha G. Dhakar	Debts Recovery Tribunal-1, Mumbai	17.06.2020
2.	Shri Deepak Mangaldas Thakkar	Debts Recovery Tribunal-2, Mumbai	15.06.2020
3	Shri Vimal Gupta	Debts Recovery Tribunal, Aurangabad	19.06.2020 (A.N.)
4	Shri Radhakrishna Ganapathi Kurella	Debts Recovery Tribunal-3, Chennai	11.06.2020

S. No.	Name of Presiding Officer S/Sh.	Name of Debts Recovery Tribunal	Date of Joining as PO
5	Shri M.P. Balasubramanian	Debts Recovery Tribunal, Coimbatore	24.06.2020
6	Shri Laxman Madnani	Debts Recovery Tribunal-2, Ahmedabad	24.06.2020
7	Shri Labh Singh	Debts Recovery Tribunal-1, Ernakulam	15.06.2020 (A.N.)

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secretary

No. 7/1/2020-DRT—In exercise of the powers conferred by Rules 4 and 9 of the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 2020, the Central Government hereby appoints Shri T. Ravi Shankar as Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata for a period of four years with effect from 11.03.2020, or till the age of 70 years, or until further orders, whichever is the earliest.

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secretary

The 7th July 2020

No. 7/4/2018-DRT—In exercise of the powers conferred vide Section 4(1) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, the Central Government hereby appoints the following as Presiding Officer in the Debts Recovery Tribunal for a period of four years with effect from the date mentioned against their names, or till they attain the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest:—

S. No.	Name of Presiding Officer S/Sh.	Name of Debts Recovery Tribunal	Date of Joining as PO
1.	Ms. S.V. Gowramma	Debts Recovery Tribunal-2, Bengaluru	03.07.2020
2.	Shri Rajesh T.	Debts Recovery Tribunal-2, Chennai	04.07.2020

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secretary

The 10th July 2020

No. 7/4/2018-DRT—In exercise of the powers conferred vide Section 4(1) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, the Central Government hereby appoint Shri Sanjiv Kumar as Presiding Officer in Debts Recovery Tribunal, Ranchi for a period of four years with effect from 29.06.2020, or till he attains the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest.

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secretary

No. 7/1/2019-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(a) of the Section 4 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, the Central Government hereby extend the entrustment of the additional charge of the post of Presiding Officer in Debts Recovery Tribunal-2, Ernakulam to Shri Labh Singh, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-1, Ernakulam for a further period of 06 months with immediate effect, or till joining of a regular incumbent, or until further orders, whichever is the earliest, in addition to his own charge.

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secretary

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 1st April 2020

No. A-38011/06/2019-Estt.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Satya Mohan Gupta, Deputy Secretary stands retired from Government service with effect from 31.03.2020.

TILAK RAJ, Under Secretary

The 21st May 2020

Office Order No. 36/2020 (No. A-19011/02/2020-Estt.)—Consequent upon her posting at STS level against the post of Director (Accounts) in Department of Fertilizers, vide Department of Expenditure's order No. A-22012/7/2020-Group A/CGA-2968-2983 dated 06.05.2020, Dr. Madhu Sharma, ICAS(2011) is hereby taken on strength of Department of Fertilizers at STS level against the post of Director (Accounts) w.e.f. her date of joining in Department of Fertilizers, i.e. 11.05.2020(A/N). She will work as Officiating Director (FS) in the Department of Fertilizers.

TILAK RAJ, Under Secretary

The 23rd July 2020

No. A-19011/15/2015-Estt.— Consequent upon acceptance of the VRS request by the Competent Authority in pursuance of DoPT's OM No. 17/2/2020-CS.I (D) dated 10.07.2020 and on completion of his three months' notice period Sh. Vikrant Sachdeva, Dy. Secretary (CSS, CSL No. 5464), DoF, is relieved from this Department on account of his voluntary retirement from Government service w.e.f. 31.07.2020 (AN) in terms of rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

TILAK RAJ, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, The 14th July 2020

No. A.12025/30/2019-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Pallavi to the post of Assistant Professor of Paediatrics and in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service on probation, with effect from the forenoon of 23.08.2019 and until further orders.

K. VENKATESAN, Under Secretary

The 16th July 2020

No. A.12025/12/2019-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Romit Saxena, to the post of Assistant Professor of Paediatrics and in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service on probation, with effect from the forenoon of 13.05.2019 and until further orders.

K. VENKATESAN, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 26th June 2020

No. 6(2871)/2020-Adm./4459—The President is pleased to appoint Shri Ravi Jha, IAS (AGMUT:2011), as Officer on Special Duty to the Minister of State (I/C) DoNER and MoS for PMO, PPG&P, Atomic Energy and Space in the Department of Atomic Energy initially for a period of three years at Deputy Secretary level (Level-12) w.e.f. 01.07.2020 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to Minister or until further orders, whichever is earlier.

RAKESH GARG, Director

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-1, the 7th July 2020

No. ADMN-12/18/2015-ADMIN—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Officer Order No. 12015/02/2020-ISS, dated 26.06.2020, the President is pleased to appoint Shri Rahul Kumar Patel, an Officer of Indian Statistical Service (ISS) as Deputy Director, Senior Time Scale (STS) in the Pay Level 11 (Rs. 67700—208700/-) of the Pay Matrix in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 01.07.2020.

SUDESH KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi-110001, the 29th May 2020

No. ERB-I/2020/25/7—Shri Harsh Kant Vashisth, Under Secretary, Railway Board, expired on 26.05.2020.

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi-110001, the 10th July 2020

No. A-32013/04/2019-E.II—The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Arya, Executive Engineer (Civil) to the post of Superintending Engineer (Civil) of Central Engineering Services (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport & Highways in Level-13 of Pay Matrix of Rs. 123100—215900/- as per CCS (Revised Pay) Rules, 2016 with effect from 27.05.2020.

KAMAL KISHORE, Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित

UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

SUBIR NARAYAN
GARAI

Digitally signed by SUBIR
NARAYAN GARAI
Date: 2020.08.04 15:13:05
+05'30'